(21)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)
UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, HALDWANI (NAINITAL)

पत्रांकः यू0ओ0यू0/परीक्षा/411(17)/2022/ दिनांक 01/03/2024

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 27 फरवरी 2024 (मंगलवार) को सम्पन्न परीक्षा समिति की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:–

1. प्रो0 गिरिजा पाण्डे , निदेशक, समाज विज्ञान वि0शा0, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	सदस्य
2. प्रो0 पी0डी0 पंत,निदेशक, विज्ञान वि0शा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	सदस्य
3. प्रो0 रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	सदस्य
4. डा0 जितेन्द्र पाण्डे, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	सदस्य
5. डा0 मदन मोहन जोशी, सह-आचार्य, इतिहास, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	सदस्य
6. डा0 भानु प्रकाश जोशी , सहायक-आचार्य, योग, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	सदस्य
7. प्रो0 सोमेश कुमार,परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	सदस्य सचिव
8. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
9. डा0 आशुतोष कुमार भटट, उप परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
10. डा0 सुमित प्रसाद, प्रवेश प्रभारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
11. डा0 ज्योति रानी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
12. श्री सुनील कुमार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
13. श्री नवनीत कुमार, सहायक निदेशक कम्प्यूटर, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
14. श्रीमती रत्ती डोगरा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
15. श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव, वित्त, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य
16. कु0 दिव्या गौड, कार्यालय सहायक, परीक्षा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	-	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक (सदस्य सचिव, परीक्षा समिति) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष, परीक्षा समिति) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का परीक्षा समिति की 17वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्ताववार चर्चा की गयी तथा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :

प्रस्ताव–17.1– 16वीं बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त का परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन दिया गया।

सदस्य सचिव
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड
01/03/2024

01/03/24
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव–17.2 परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की कृत कार्यवाही की जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को विस्तृत रूप में दी गई तदनुरूप विचार–विमर्श में सर्वसम्मति से कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव 17.3 छात्रों द्वारा परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने हेतु शुल्क वृद्धि एवं प्राप्ति करने की समयावधि के निर्धारण पर पुनर्विचार।

उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने हेतु भुगतान राशि को रू0 200/– प्रति उत्तर पुस्तिका से वृद्धि करके रू0 300/– प्रति उत्तर पुस्तिका किया गया। छात्र परीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 06 माह के भीतर भुगतान कर केवल अपनी उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति ही प्राप्त कर सकता है। आगामी ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र जून, 2024 से लागू किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव–17.4 परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिका में प्राप्त प्राप्तांकों के संबंध में शिकायती प्रकोष्ठ के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों की समय सीमा एवं शुल्क निर्धारण।

शिकायती प्रकोष्ठ समिति के समक्ष प्राप्त आवेदन, जिनपर समिति द्वारा विचार किये जाने के उपरान्त स्वीकार किया जाएगा उन सभी आवेदनकर्ताओं से रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) प्रति उत्तर पुस्तिका का शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त ही आवेदनकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। शिकायती प्रकोष्ठ समिति के समक्ष आवेदन करने हेतु परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त परीक्षार्थी को एक माह का समय उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने तथा उसके अतिरिक्त एक माह का समय आवेदन करने हेतु अर्थात अंतिम परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त कुल 02 माह का समय दिये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव–17.5 विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु निर्धारित शुल्क पर पुनर्विचार।

विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्रों का शैक्षिक सत्यापन हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 100/– प्रति छात्र में वृद्धि कर इसे रू0 500/– प्रति छात्र किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व संस्तुति प्रदान की गई।

सदस्य सचिव
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव–17.6 विद्यार्थियों द्वारा उपाधि/प्रमाणपत्र की मांग तत्काल करने पर शुल्क का निर्धारण।

परीक्षार्थी का कोर्स पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार उनके द्वारा आवेदन करने पर कुल 90 दिनों में उपाधि/प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा दिये गये पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित की जाती है, परन्तु यदि कोई छात्र उक्त निर्धारित समय से पूर्व विश्वविद्यालय में आकर तत्काल उपाधि/प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा की मांग करता है तो उसे अतिरिक्त रू0 1000/ का शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। यदि वह निर्धारित समयावधि के उपरान्त विश्वविद्यालय में आकर उपाधि/प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा की मांग करता है तो उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव–17.7 शीतकालीन परीक्षा सत्र (दिसम्बर 2022) से संबंधित परीक्षाफल घोषणा, नकल प्रकरण (UFM) एवं ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र (जून–2023) से संबंधित परीक्षाफल घोषणा पर अनुमोदन।

परीक्षाफल एवं नकल प्रकरण से अवगत होते हुए समिति के समस्त सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया एवं समिति द्वारा नकल प्रकरण के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव–17.8 विश्वविद्यालय द्वारा नकल प्रकरण (UFM) हेतु निर्धारित नियम में पुनर्विचार किये जाने के सबंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित साधनों को रोकने एवं नियमों का कडाई से अनुपालन करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न समिति का गठन पर सहमति दी गयी। समिति की सिफारिशों को कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की आगामी ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र से लागू किया जा सकता है। समिति द्वारा लिये गये निर्णय को विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

1.	निदेशक अकादमी	अध्यक्ष
2.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव
3.	मा0 कुलपति जी द्वारा नामित विद्यापरिषद् के एक सदस्य	सदस्य
4.	प्रवेश प्रभारी	सदस्य
5.	सहायक कुलसचिव, परीक्षा	संयोजक

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सदस्य सचिव
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

(18)

प्रस्ताव–17.9 परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं (परीक्षकों) हेतु अनुदेशों का निर्धारण।

परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं (परीक्षकों) हेतु अनुदेशों के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न समिति का गठन पर सहमति दी गयी। समिति की सिफारिशों को कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की आगामी ग्रीष्मकालीन परीक्षा सत्र से लागू किया जा सकता है। समिति द्वारा लिये गये निर्णय को विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

1. निदेशक अकादमी — अध्यक्ष
2. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य सचिव
3. मा0 कुलपति जी द्वारा नामित विद्यापरिषद् के एक सदस्य — सदस्य
4. प्रवेश प्रभारी — सदस्य
5. सहायक कुलसचिव, परीक्षा — संयोजक

प्रस्ताव–17.10 परीक्षा केन्द्रों में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के तैनाती मानक व आनुषांगिक व्यय के सम्बन्ध में पुनर्विचार।

परीक्षा केन्द्रों में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के तैनाती मानक पूर्व व्यवस्थानुसार यथावत रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले न्यूनतम आनुषांगिक व्यय में रू0 1500/– से वृद्वि कर रू0 2000/– किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा परीक्षा केन्द्रों के द्वारा आनुषांगिक व्यय के अधीन केवल उन वस्तुओं का क्रय किये जाने, जो प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा के दौरान उपयोग में आएं यथा– स्टेशनरी, साफ–सफाई उपयोगार्थ वस्तुएं समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण, साज–सज्जा, क्रोकरी व उपकरण आदि क्रय की अनुमति नहीं होगी।

प्रस्ताव–17.11 परीक्षाओं के दौरान ढुलायी कार्य हेतु भुगतान किये जाने के सबंध में पुर्नविचार।

परीक्षा केन्द्रों के द्वारा ढुलाई कार्य हेतु छोटे बण्डल (अधिकतम 50 उत्तरपुस्तिकाओं के) हेतु प्रति बण्डल रू0 5.00 उतारना व रू0 5.00 चढाना एवं बडे बण्डल (50 से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं के) हेतु प्रति बण्डल रू0 10.00 उतारना व रू0 10.00 चढाना अनुमन्य किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व संस्तुति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत 300 उत्तरपुस्तिकाओं से अधिक के बण्डल बनाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रस्ताव–17.12 परीक्षा शुल्क वापसी हेतु नियमों का निर्धारण।

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करते समय त्रुटिवश या नेटवर्क की समस्या के कारण दो बार या उससे अधिक ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया जाता है, ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा अतिरिक्त जमा

सदस्य सचिव
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

शुल्क को वापस किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर ऑफ–लाईन आवेदन कर आवश्यक प्रपत्रों के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा, प्राप्त आवेदनों की जांच करने के उपरान्त अतिरिक्त शुल्क वापसी केवल परीक्षार्थी के बैंक खाते में ही स्थानान्तरित किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव–17.13 परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2024 में लिए गए निर्णय के क्रम में बैठक का कार्यवृत्त शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विद्यापरिषद् में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे समिति अवगत हुई।

प्रस्ताव–17.14 प्रवेश समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अकादमिक कलैण्डर प्रकाशित किया जाना।

वार्षिक अकादमिक कलैण्डर प्रवेश एवं परीक्षा द्वारा आपसी सामंजस्य स्थापित कर प्रकाशित किये जाने पर समिति द्वारा सहमति व संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव–17.15 एक छात्र द्वारा एक सत्र में 02 भिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियमावली का निर्माण किया जाना।

एक छात्र द्वारा एक सत्र में 02 भिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2024 में लिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मिति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव–17.16 निदेशक अकादमिक से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समिति हेतु सूचनार्थ/ अवलोकनार्थ।

- **सत्र जुलाई, 2023 से समस्त पाठ्यक्रमों में आयोजित होने वाले सत्रीय कार्यों का विवरण।**
- **VAC/GE/AECC का पूर्णांक 100 है तथा इनमें कोई भी सत्रीय कार्य नहीं होगा ।**

निदेशक अकादमिक से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सत्र जुलाई, 2023 से समस्त पाठ्यक्रमों में आयोजित होने वाले सत्रीय कार्यों से समिति अवगत हुई।

सदस्य सचिव
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(16)

प्रस्ताव–17.17 परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 17.02.2022 में लिए गए निर्णय के क्रम में परीक्षा कार्य से वंचित किये गये सहायक प्राध्यपकों (ए0सी0) के आवेदन पत्रों पर विचार।

परीक्षा सत्र जून, 2022 में एम0ए0 समाजशास्त्र विषय के MASO-605 के प्रश्नपत्र के निर्माण प्रश्न पाठ्यक्रम से भिन्न बनाये जाने के कारण डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया, सहायक प्राध्यापक (ए0सी0), समाजशास्त्र विभाग एवं डॉ0 चारू पंत, सहायक प्राध्यापक (ए0सी0), रसायन विज्ञान को कार्यपरिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के द्वारा स्थायी नियुक्ति होने तक परीक्षा कार्य से वंचित किया गया था।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से माफी–नामा प्राप्त होने के उपरान्त डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया, सहायक प्राध्यापक (ए0सी0), समाजशास्त्र विभाग एवं डॉ0 चारू पंत, सहायक प्राध्यापक (ए0सी0), रसायन विज्ञान के प्रतिबन्ध को समाप्त करने की संस्तुति प्रदान की गयी एवं कार्यपरिषद् में संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त ही इसे प्रभावी माना जाएगा।

प्रस्ताव–17.18 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले ग्रेड व क्रेडिट के निर्धारण के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले ग्रेड व क्रेडिट सम्बन्धी नियम निर्धारण निदेशक अकादमी द्वारा उपलब्ध कराये गये, जिससे समिति अवगत हुई।

प्रस्ताव–17.19 परीक्षकों द्वारा वर्कशॉप तथा प्रतियोगात्मक परीक्षा हेतु SOP जारी किया जाना।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न विषयों की वर्कशॉप, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं हेतु पूर्व निर्धारित दरें एवं व्यवस्था यथावत् रहेंगी।

प्रस्ताव–17.20 विश्वविद्यालय के परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

कुलसचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में दिनांक 23 फरवरी, 2024 को सम्पन्न बैठक में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कराये जाने पर आने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन करने के लिए सर्वप्रथम GEM के माध्यम से दरें प्राप्त करने एवं उसके उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सदस्य सचिव
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

(15)

प्रस्ताव— 17.20 (1) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान की जाने वाली डिग्री में जोडी गयी विशेषताओं के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान की जाने वाली डिग्री में सुरक्षा के दृष्टिगत features को बढ़ाये जाने एवं इस हेतु परीक्षा अनुभाग द्वारा मा0 कुलपति जी के अनुमोदन के क्रम में एक समिति का गठन किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव— 17.20 (2) जिन परीक्षा केन्द्रों द्वारा पूर्व समायोजन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं उनके नवीन भुगतान के विषय में विचार—विमर्श।

ऐसे समस्त परीक्षा केन्द्रों जिन्होंने पूर्व समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया, को पत्र निर्गत करने, जिसकी एक प्रति उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किये जाने एवं वन टाईम सेटलमेन्ट करने के लिए वित्त समिति में विचार—विमर्श पर सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव— 17.20 (3) उत्तरपुस्तिकाओं के विनिष्टीकरण समयावधि को कम किये जाने के सम्बन्ध में।

कुलसचिव महोदय द्वारा संज्ञान में लाने के उपरान्त नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने तथा परीक्षाओं में सेमेस्टिर सिस्टम लागू होने के दृष्टिगत उत्तरपुस्तिकाओं की विनिष्टीकरण समयावधि को एक वर्ष से घटकर 06 माह किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति व संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव— 17.20 (4) श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक, संगीत के सम्बन्ध में।

कार्यपरिषद् की 37वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2023 के प्रस्ताव संख्या—37.08 के क्रम इमें श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक, संगीत को परीक्षा सम्बन्धित सभी बीजकों के सत्यापन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में 03 वर्ष (01.08.2023 से 31.07.2026 तक) का प्रतिबन्ध लगाया गया था, प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु कार्यपरिषद् को सन्दर्भित किया गया।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सदस्य सचिव,. (परीक्षा नियंत्रक) द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सदस्य सचिव,
परीक्षा समिति
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

अध्यक्ष,
परीक्षा समिति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)